

9051/20




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

14

Certificate No. : IN-UP07651969636357S
Certificate Issued Date : 06-Jun-2020 01:42 PM
Account Reference : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPBOBBK0209232144022811S
Purchased by : SHAKTI SINGH
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : FLAT NO AR/B-7/204, ARAVALI ENCLAVE, SECTOR 12, VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 61,52,424
(Sixty One Lakh Fifty Two Thousand Four Hundred And Twenty Four only)
First Party : U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party : SHAKTI SINGH
Stamp Duty Paid By : SHAKTI SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,31,100
(Four Lakh Thirty One Thousand One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----



क्रेता



विक्रेता

SR 0004950950

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IS 15700 2005




OFFICE OF THE PROJECT MANAGER C. U. - 3,
U.P. AWAS EVAM VIKAS PARISHAD, VRINDAVAN YOJNA,
LUCKNOW

IS 15700 2005



SITE PLAN OF (3 BHK B1 & B2 TYPE) ARAVALI ENCLAVE, BLOCK-B, SECTOR-12B, VRINDAVAN YOJNA No.-3, LUCKNOW



SITE PLAN ONLY FOR REGISTRY




ALLOTMENT LETTER No.:-

NAME OF ALLOTEE:


SRI./SMT./KM.:-


FLAT No. **AR/B-7/204**


FLOOR :- **Ind** FLOOR PLAN
SUPER AREA :- **155.72** SQMT.
BUILDUP AREA :- **139.67** SQMT.
CARPET AREA :- **103.45** SQMT.

NORTH :- **B-7/203** 
 SOUTH :- **open to Sky**
 EAST :- **Tower No-8** 
 WEST :- **B-7/201** 


D/ MAN


J. E.

B1

शक्ति
केला

B2

Araya
A. E.
बिकेला

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 442994

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक १० माह ०६ वर्ष २०२० की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ के अधीन गठित, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित है।

क्रमशः ०२ पर

Shel Bishl
क्रेता

विक्रेता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 442993

(2)

एक पक्ष और श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री महादेव प्रसाद सिंह निवासी—MIG-4, माँ भवन, मोतीझील कालोनी, लखनऊ जिसके एतदपश्चात् पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

क्रमशः 03 पर


Shakti Singh
क्रेता

[Signature]
विक्रेता

Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-3 नामक मुहल्ले के सेक्टर-12 में निर्मित अरावली एन्क्लेव 3BHK-B2 का प्लैट संख्या-AR/B-7/204 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू0 61.52.424.00 (रू0 इक्कठ लाख बावन हजार चार सौ चौबीस मात्र) जिसका आधा रू0 30.76.212.00 (रू0 तीस लाख छियत्तर हजार दो सौ बारह मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त प्लैटस (संख्या-AR/B-7/204) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है।

क्रमशः 04 पर

Handwritten signature of the seller, with the name 'श्रेता' (Seller) written below it.

Handwritten signature of the buyer, with the name 'विक्रेता' (Buyer) written below it.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100




ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

100100 100100100100 100100 100100 100100 100100 100100 100100 100100 100100

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(4)

अतएव रू० 61,52,424.00 (रू० इक्सट लाख बावन हजार चार सौ चौबीस मात्र) की धनराशि के प्रति कलस्वरूप एतद्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् प्लेट संख्या-AR/B-7/204 क्रता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन गारंटी घृत करन के लिए विक्रय और अन्तरित करती है -

- 1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जा एसे प्रयाजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था एतद द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

क्रमश. 05 पर

Shelvi Singh
क्रेता

[Signature]
विक्रेता

- 2) एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- 3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- 4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना गृहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
- 5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- 6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लॉटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं -

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

- 7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालानी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या-AR/B-7/204) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

क्रमशः 06 पर

Shakti Bigh.
क्रेता

Star
विक्रेता

- 8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।
- 9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या-AR/B-7/204 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।
- 10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।
- 11) क्रेता को प्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु ₹0 2513.00 प्रति माह "अनुरक्षण मद" में जमा करना होगा। अरावली एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिवार्य होगा।
- 12) सुपर एरिया पर 1.50 प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैंम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक प्लैट्स ऑनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। सीढियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक्र, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्टम का रख-रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होंगी।
- 13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

Phela Bigh
क्रेता

विश्व
विक्रेता

- 14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी जो फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। सस्लघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका वंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन, परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 16) क्रेता द्वारा विद्युत विभाग लखनऊ में निर्धारित जमा धनराशि एवं कनेक्शन चार्ज जमा करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। सक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे अरावली एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- 17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिंग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया को लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में ज़िम्मेदार्य आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- 18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- 19) क्लब, ओपेन एरिया पार्किंग आदि कामन एरिया-उ0प0 अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- 20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट की चारों दिवारों से लगे हुये फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- 21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 23) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।

क्रमशः 08 पर

Shakshi Singh
क्रेता

विप्रेता

अनुसूची - ख

जिसके साक्ष्य में श्री के0डी0 शर्मा सम्पत्ति प्रबन्धक परिषद की ओर से और उसकी ओर से श्री शक्ति सिंह आशयिता संख्या-AR/B-7204 के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

Shakti Singh
क्रेता के हस्ताक्षर
क्रेता

[Signature]
परिषद की ओर से एवं उसके लिए
विक्रेता
सहम अधिकारी



ह0 श्याम बिहारी

श्याम बिहारी

न० जौहरी को खांडा
श्याम बिहारी मिला भागरा

1 साक्षी - ह0

नाम:-

पता:-

1 साक्षी ह0

कृष्णमोहन

नाम:-

कृष्णमोहन

पता:-

गांव+पोस्ट - भदरुआ
(मथुरा)

1 साक्षी- ह0

नाम -

पता:-



शक्ति सिंह

योजना सहायक
उ0प्र0 आवास एवं विकास प0
लखनऊ